BHEEM FOUNDATION

Regd.By Govt. of NCT, New Delhi (Regd. No. IN DL56619851178928S)

भीम फाउंडेशन का परिचय

भीम फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन के रूप में Govt. of NCT नई दिल्ली से पंजीकृत है। यह राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। जिसका रजिस्ट्रेशन न0 IN DL56619851178928S हैं।

भीम फाउंडेशन का उद्देश्य

भीम फाउंडेशन समाज में सभी वर्गो के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वःरोजगार को जन–जन तक पहुचाने का कार्य करती है। यह फाउंडेशन समाज में शोशित, वंचित, एवं पिछडें, आदिवासियों को शिक्षा एवं स्वःरोजगार मुहैया कराकर समाज में सामानता की पहल करती है। इसी उद्देश्य को पुरा करने के लिए फाउंडेशन ने ग्राम पंचायत स्तर पर भीमज्ञानवाड़ी सेंटर स्थापित करने का कार्य कर रही है।

भीमज्ञानवाड़ी केन्द्र स्थापना के नियम व शर्ते

1. प्रत्येक जनपद में कुल भीमज्ञानवाड़ी केन्द्रो की संख्या 50 होनी आवश्यक है।
2. प्रत्येक भीमज्ञानवाड़ी केन्द्र ग्रामपंचायत स्तर पर खोले जायेंगे जो एक ब्लाक में 10 सेंटर होना अनिवार्य है।
3. भीमज्ञानवाड़ी केन्द्र प्रत्येक ग्रामसभा में 1 केन्द्र खोलने का प्राविधान है। जिसमें एक केन्द्र पर लाभार्थी की संख्या 150 होना आवश्यक है, अगर किन्ही कारणवश संख्या पुरी नहीं होती है तो 2 ग्रामसभा को मिला कर 150 की संख्या पूरी की जायेगी।

भीमज्ञानवाड़ी केन्द्रों पर संचालित होने वाले प्रोग्राम

1. नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों को कोचिंग क्लास देना होगा, यह कोचिंग क्लास दो पाली में होगी। बच्चों की उपस्थिति के आधार पर समय का निर्धारण भीम ब्लाक शिक्षा अधिकारी व भीम शिक्षा कार्यकत्री एवं भीम शिक्षा सहायिका के द्वारा होगा। पढ़ाने हेतु **विद्यार्थियों की संख्या 50** होगी। बच्चों के शिक्षा में आधुनिक गुणवत्ता लाने के लिए प्रत्येक माह के अन्त में टेस्ट परीक्षा होगी। एवं तिमाही, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा कराकर पास (सफल) विद्यार्थियों को सर्टीफिकेट दिया जायेंगा।
2. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले ऑनलाइन छात्र/छात्राओं **की संख्या** 30 होगी। परीक्षा मे सफल छात्र–छात्राओं को प्रमाण पत्र मिलेगा।
3. बालिकाओं/महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, एवं ब्यूटीशियन, आदि के लाभार्थियों **की संख्या** 50 होगी। प्रशिक्षण के उपरान्त परीक्षा मे सफल लाभार्थियों को सर्टीफिकेट, एवं स्वःरोजगार के अवसर मिलेगें। तथा बैंक से लोन कराकर उद्यमी को स्वःरोजगार से जोड़ दिया जायेगा।
4. **प्रवासी मजदूर को स्वःरोजगार प्रशिक्षणः–** मशाला उद्योग, एल0ए0डी0 बल्ब उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, धूपबत्ती उद्योग, मोमवत्ती उद्योग, आदि उद्योग, के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को स्वःरोजगार के लिए ट्रेनिंग होगी। जिसमे **लाभार्थी की संख्या** 50 होगी। उद्यमी अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उद्यमी को स्वःरोजगार के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन की धनराशि दिलाने मे फाउंडेशन मदद करेगा। जिससे उद्यमी उद्योग लगाकर प्रतिमाह अनुमानित 15–20 हजार रू0 कमा सकता है।
5. भीम किसान कार्ड बनवाकर LIC Micro Insurance के द्वारा 50,000/– रू0 तक का बीमा का लाभ ले सकता है, तथा भीमज्ञानवाड़ी केन्द्र से कोई भी सामानों की खरीद दारी पर 30

Scanned by CamScanner

केन्द्र स्थापित करने के लिए फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त सामाग्री निम्न है।

1. कुर्सी (4) पीस
2. मेज (1) पीस
3. व्हाइट वोर्ड (1) पीस
4. मार्कर (12) पीस
5. टाट पट्टी (1)पीस
6. सिलाई मशीन (1)पीस
7. पंखा (1) पीस
8. लाइट एल0ए0डी0 (1) पीस
9. सेन्टर का किराया 1000/–रू0, प्रतिमाह
10. विजली का विल प्रतिमाह
11. फ्लैक्स वैनर (1) पीस
12. सर्टिफिकेट (1) पीस
13. मान्यता की कापी एक सेट
14. रजिस्ट्रेशन फार्म (150) पीस

नोट– आवश्यकतानुसार लिस्ट मे परिर्वतन होता रहेगा।

पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा कार्यभार पद क्रमानुसार

भीमशिक्षा कार्यकत्री,(BSW)

1. भीमशिक्षा कार्यकत्री,(BSW) एवं भीमशिक्षा सहायिका, किसी एक को सिलाई,कढ़ाई, व्यूटीशियन, आना अनिवार्य है।
2. कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के वच्चों को पढ़ाना होगा।
3. भीमज्ञानवाड़ी केन्द्र पर सभी छात्र/छात्राओं को सुरक्षित घर पहुचाना भीमशिक्षा सहायिका एवं भीमशिक्षा कार्यकत्री का होगा।
4. वालिकाओं/महिलाओं को सिलाई ,कढ़ाई, व्यूटीशियन का प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण का समय भीमशिक्षा सहायिका एवं भीमशिक्षा कार्यकत्री लाभार्थियों के उपस्थिति के अनुसार निर्धारित होगी।
5. भीमशिक्षा सहायिका एवं भीमशिक्षा कार्यकत्री को रविवार एवं छुट्टीयों के समय अपने ग्रामपंचायत मे जा कर अभिभावकों से संवाद करना होगा तथा अपने कार्यक्रमों को बताना और लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

भीमशिक्षा सहायिका,(ABSW)

1. भीमशिक्षा सहायिका (ABSW) को भीमशिक्षा कार्यकत्री,(BSW) के साथ रह कर उनके कार्यो को करना होगा।
2. भीमशिक्षा कार्यकत्री यदि किन्ही कारण से केन्द्र पर जाने मे असमर्थ हो जाती है या अवकाश लेती है तो उस स्थिति में भीमशिक्षा सहायिका केन्द्र पर जा कर बच्चों को पढ़ाना आनिवार्य होगा।
3. भीमशिक्षा सहायिका यदि किसी कारण वश आने मे असमर्थ है तो इसकी सूचना एक दिन पहले ब्लाक भीमशिक्षा अधिकारी को देना आवश्यक है। ऐसा न करने पर नौकरी जा सकती है या वेतन की कटौती हो सकती है यह निर्णय ब्लाक भीमशिक्षा अधिकारी एवं जिला भीमशिक्षा अधिकारी का अधिकार होगा।
4. भीमशिक्षा सहायिका को बच्चों तथा अभिभावकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, आदि कार्य रहेगा।
5. भीमशिक्षा सहायिका एवं भीमशिक्षा कार्यकत्री को रविवार एवं छुट्टीयों के समय अपने ग्रामपंचायत मे जा कर अभिभावकों से संवाद करना होगा तथा अपने कार्यक्रमों को बताना और लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

भीमविपणन अधिकारी,(BME)

1. भीमविपणन अधिकारी केन्द्र प्रतिदिन खुलता है कि नहीं इसकी सूचना ब्लाक भीमशिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन की रिपोर्ट करना होगा। यदि रिपोर्ट झूठी निकली तो भीमविपणन अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कि जा सकती है।
2. भीमविपणन अधिकारी केन्द्र पर यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों की उपस्थिति कितनी है।

Scanned by CamScanner

3. भीमविपणन अधिकारी डेली डिपोजिट क्राफ फडिंग योजना के तहत प्रतिदिन 5 लोगो का खाता खोलना होगा। जो 10रू0 से 100रू0 प्रतिदिन का खाता खुलेगा। जिसकी अवधि 1 वर्ष होगी।
4. खाताधारक 6 माह के बाद 2प्रतिशत ब्याज के दर से लोन ले सकते है। और लेन–देन किसी भी कार्यदिवस पर किया जा सकता है।
5. उपभोगता अपनी जमा धनराशी 1वर्ष की अवधि पूरा होने पर 3 प्रतिशत ब्याज दर से निकाल सकता है।
6. भीमकिसान कार्ड बनेगा, जिसका मेम्बर शुल्क 100रू0 होगा। इसको भीमकिसान कार्ड के नाम से भी लोगों को जोड़ सकते है। इस कार्ड से किसानो को नवीन सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।
7. भीमविपणन अधिकारी भारत सरकार LIC द्वारा संचालित सूक्ष्म बीमा के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरो मे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। उनके लिए माइक्रो बचत, जीवन मंगल, जीवन मघुर, आदि प्लान केवल 80 रू0 प्रतिमाह से बीमा किया जाता है यह सुविधा केवल गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे लोगो के लिए है।
8. फाउंडेशन के सभी प्रोग्राम को जन–जन तक पहुचानें का कार्य सभी पदाधिकारियों का होगा। जिसका लाभ लोगो तक पहुच सके।
9. केन्द्र खोलने एवं लाभार्थीयों का पंजीकरण करवाना होगा।.

भीमशिक्षा ब्लाक अधिकारी,(BSBA)

1. भीमशिक्षा ब्लाक अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में भीम शिक्षा कार्यकत्री व भीम शिक्षा सहायिका का चयन करके 10 केन्द्रों की स्थापना करनी होगी।
2. भीमशिक्षा ब्लाक अधिकारी को कम से कम 1 दिन में 2 ग्रमापंचायत मे जा कर केन्द्र का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
3. भीमशिक्षा ब्लाक अधिकारी को अपने ब्लाक मे 10 केन्द्र खोलना अनिर्वाय है।
4. स्टडी मटेरियल जिला से ब्लाक मे लाकर पहुचाना होगा। तथा फाउंडेशन के प्रोग्राम को लोगो तक पहुचाना होगा।
5. आवश्यकता पड़ने पर ग्राम प्रधान एवं सिकरेटरी, ब्लाक के अधिकारी एवं कर्मचारीयों से मिटिंग करनी होगी। तथा नोटिस समाचार पत्रो का लेखन कार्य करके भीमजिला अधिकारी को देना होगा।
6. भीमशिक्षा ब्लाक अधिकारी प्रत्येक केन्द्र पर प्रवासी मजदूरों का स्वः रोजगार की ट्रेनिंग सप्ताह में एक दिन देगा।

जिलाभीम शिक्षा अधिकारी,(DBSA)

1. जिलाभीम शिक्षा अधिकारी भीमशिक्षा कार्यकत्री,(BSW). भीमशिक्षा सहायिका (ABSW) दोनों पद का साक्षात्कार लेना, और भीम मण्डल शिक्षा अधिकारी (BMEO) के सहायता से नियुक्ति करना।
2. जिलाभीम शिक्षा अधिकारी ब्लाकभीम शिक्षा अधिकारियों के साथ प्रत्येक ब्लाक मे जा कर एक ब्लाक मे कम से कम 10 केन्द्रों की स्थापना करवाना अनिर्वाय होगा।
3. जिलाभीम शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे, कि मेरे जिला मे 50 केन्द्र खुल चुका है कि नहीं और सदस्यता शुल्क जमा हो रहा है कि नहीं ये आप का टारगेट होगा।
4. जिलाभीम शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह अपने जिला का मेम्बरशिप शुल्क जमा कराकर भीम फाउंडेशन के खाते में जमा करना अनिर्वाय होगा। तब जाकर आप के जिले के सभी पदाधिकारियों की सेलरी महीने के 10 तारीख तक आयेगी।

Scanned by CamScanner

प्रतिशत छूट का लाभ पा सकता है, तथा किसी भी सेंटर पर अपने बच्चे का ट्रान्सफर करके शिक्षा का लाभ उठा सकते है।

भीमफाउंडेशन द्वारा संचालित अतिरिक्त डिप्लोमा /कोर्सेस निम्न है।

1. योगा टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, (DYT/PGDYT) कोर्स 1 वर्ष /2 वर्ष योग्यता 12 वीं पास फीस 1500 रू0 1वर्ष डिप्लोमा 2000रू0 2 वर्ष डिप्लोमा। परीक्षा– दिसम्बर/जून माह में ।
2. नर्सरी टीचर ट्रेनिंग/प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग (NTT/PTT) कोर्स 1 वर्ष /2 वर्ष योग्यता 12 वीं पास फीस 1500रू0 1वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 1500रू0 परीक्षा– मई माह में ।
3. कला अध्यापक डिप्लोमा (IGD) BOMBAY ART कोर्स 1 वर्ष योग्यता–12वीं पास फीस 1500रू0 परीक्षा– सितम्बर ।
4. एडवांस कम्प्यूटर डिप्लोमा (ADCA) कोर्स 1 वर्ष योग्यता–10वीं/12वीं पास फीस 1000रू0 परीक्षा– जून/दिसम्बर माह।

   नोट–

   1. उपरोक्त सभी कोर्सो की परीक्षा आप के निकटतम स्कूल/कालेज मे आयोजित की जायेगी।
   2. उपरोक्त सभी डिप्लोमा/कोर्सो के लिए ऑनलाइन आवेदन करके रजिस्ट्रेशन नं0 फाउंडेशन को बताना आवश्यक है। तभी आपका प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। फीस भी आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी।

प्रोग्राम को शुरू करने के लिए नियमावली व मेम्बर शुल्क।

1. प्रत्येक केन्द्रों को शुरू करने के लिये प्रथम माह मे सभी को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 15 होना, अनविार्य है, जिसका मेम्बरशिप शुल्क 1200 रू0 प्रति लाभार्थी होगा। यह शुल्क एक बार लिया जायेगा।
2. यदि किन्हीं कारणों से लाभार्थी एक बार शुल्क देने में असमर्थ है तो उस दशा में लाभर्थियो की संख्या 30 होनी अनिवार्य है। जिसका मेम्बरशिप शुल्क 600 रू0 प्रति लाभार्थी होगा। यह शुल्क 2 बार लिया जायेगा।
3. यदि किन्हीं कारणों से लाभार्थी एक बार शुल्क देने में असमर्थ है तो उस दशा में लाभर्थियो की संख्या 60 होनी अनिवार्य है। जिसका मेम्बरशिप शुल्क 300 रू0 प्रति लाभार्थी होगा। यह शुल्क 4 बार लिया जायेगा।
4. उपरोक्त भीमशिक्षा कार्यकत्री,(BSW), भीमशिक्षा सहायिका (ABSW), भीमशिक्षा ब्लाक अधिकारी (BSBA),सभी प्रतिदिन 10 व्यक्तियों से मिलना होगा। जिसमे उपरोक्त सभी प्रोग्राम मे से मात्र 15 का प्रवेश लेना होगा।

जो चार्ट इस प्रकार है।

1 कार्यकर्ता 1 दिन X 10 लाभार्थियों से मिलेगा।

" " 30 दिन X 300 लाभार्थियों से मिलेगा।

3 कार्यकर्ता 1 दिन X 30 लाभार्थियों से मिलेगा।

" " 30 दिन X 900 लाभार्थियों से मिलेगा।

900 लाभार्थियों मे से एक सेंटर पर प्रथम एक माह में केवल 15 लाभार्थियों टारगेट देना है, जो मेम्बर फीस का विवरण इस प्रकार है।

15 लाभार्थियों पर मेम्बर फीस प्रति लाभार्थी 1200रू0

30 लाभार्थियों पर मेम्बर फीस प्रति लाभार्थी 600रू0

60 लाभार्थियों पर मेम्बर फीस प्रति लाभार्थी 300रू0

नोट– इसी के आधार पर सभी को सेलरी प्रतिमा महिने के 10 तारिख को फांउडेशन द्वारा जारी होगी।

Scanned by CamScanner